न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 23/2016 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. श्री खुमाणसिंह पुत्र सावंतसिंह राजपूत निवासी नई अरवड तह. फुलियाकलां जिला भीलवाडा	बनाम	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार फुलियाकलां 2. इन्द्रसिंह पुत्र सावंतसिंह निवासी अरवड 3. लालसिंह पुत्र सांवतसिंह नि0 अरवड 4. सम्पतसिंह पुत्र सांवतसिंह नि0 अरवड 5. हरिसिंह पुत्र सांवतसिंह नि. अरवड
–प्रार्थी		– विपक्षीगण

राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 11.05.2016 बअनवान खुमानसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

उपस्थित :–

1. श्री गोपाल लाल आचार्य अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 2 से 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15/02/2017

प्रार्थी की ओर से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 रा.भू.रा. अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 11.05.2016 के संबंध में प्रस्तुत की गयी है । प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं रेस्पोडेण्ट परिवार के सगे भाई हैं । इस परिवार का निवास स्थान नई अरवड तह. फुलियाकलां जिला भीलवाडा है । अपीलाण्ट के दादा मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से मेड खसरा नं. 1 /35,32,35 /35,839,24,26 क्रमशः खेत नम्बर 22,1,18,19,29,837 पडत , पाटी इत्यादि रकबा में स्थित थे जिसमें मोतीसिंह कास्त करता चला आ रहा था। इस दौरान उक्त कृषि भूमि अरवड बांध निर्माण के समय पेटा काश्त की भूमि में उक्त कृषि भूमि आ गयी थी । फलस्वरूप काश्तकारों को बांध के डूब में उक्त जमीन गई उसके एवज में जो कृषि भूमि मिली वह कृषि भूमि मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से उनके पुत्र वारिसान मे दर्ज हो गयी जो खेवट खतौनी बन्दोबस्त खाता सं. 201 ग्राम अरवड खसरा सं. 926,237,228 एवं खसरा सं. 61,62,64 /1,64/2,65,66 कुल खसरा 9 रकबा 201.1 बीघा एवं खसरा सं. 1192

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

/806 ,1170 /806,1191 /806, क्रमश : रूपसिंह , अमरसिंह , जोरावर सिह , सावंतसिह के नाम दर्ज हुयी । बंदोबस्त खाता सं. 240 के अनुसार ख.सं. 54,55,57,58,59,60,67 कुल खसरा 7 रकबा 11.05 बीघा एवं खाता सं. 200 के खाता सं. 201,202,203,725/4 रकबा 5.10 बीघा एवं खसरा सं. 1247 / 1116 , 1120 , 1123,1246/1120,1247 /1120 रकबा 15 बीघा दर्ज हुयी । उक्त कृषि भूमि पुराने खसरा से नये खसरा सं. 397,401,402,414 रकबा 1.58 हैक्ट. एवं खसरा सं. 108,110,111,115,116, रकबा 3.80 हैक्ट. में परिवर्तित हो गया जिसमें जमाबंदी के अनुसार ख.सं. 397,401,402,414 सांवतसिह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज हुआ एवं ख.सं. 108,110,111,115,116 में सांवतसिंह पुत्र मोतीसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज होकर खातेदार कायम हुआ । उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा कायम होने से उसका पुत्र होने से विरासत में नामा. सं. 125 दिनांक 23.8.2003 दर्ज हुआ तथा इसी प्रकार ख.सं. 400 रकबा 0.03 हैक्ट. में भी नामा. सं. 126 दिनांक 23.8.2003 को दर्ज हुआ । रेस्पोडेण्टस ने अपने पिता श्री सावंतसिंह के वृद्धावस्था/अनपढ व्यक्ति होने का नाजायज फायदा उठाते हुये धोखे में रखते हुए छलकपट से कृषि भूमि का बंटवारा करवाने का बहाना करके एक वसीयत स्वअर्जित सम्पति बताते हुये अपने पक्ष में करवा ली जबकि उक्त आराजियात को वसीयत करने का सांवतसिंह पुत्र मोतीसिंह को कतई अधिकार नही था। रेस्पोडेण्टस ने वसीयतनामा दिनांक 21.9.2000 को वसीयतकर्ता से निष्पादित करवाया। इसके पश्चात दिनांक 29.9.2003 को उक्त वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरकरण को चुनौती दी गयी। लेकिन रेस्पोडेण्टस ने उपखण्ड अधिकारी से लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट पिटिशन के निर्णय तक कही पर भी इस तथ्य को साबित नही किया कि वसीयतनामें में दर्ज कृषि भूमि स्वअर्जित कृषि भूमि नही होकर पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा पुश्तैनी कृषि भूमि होने से वसीयतनामे के आधार पर उक्त कृषि भूमि को हडपना चाहते है जो गलत एवं विधिविरूद्व है , जबकि उक्त कृषि भूमि का स्वअर्जित होने का कोई दस्तावेज रेस्पोडेण्टस के पास नही है और न ही आज दिन तक रिकार्ड पर है । ऐसी सूरत में स्वअर्जित कृषि भूमि बताते हुए निष्पादित की गयी वसीयतनामा विधिविरूद्व एवं फर्जी होने से निरस्त करने योग्य है तथा विरासत से जो नामान्तरकरण दर्ज हुआ सही होने से स्वीकार किये जाने योग्य है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निर्णय के एक साल पूर्व बहस की जाकर उक्त अपील को निर्णय में

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

माननीय न्यायालय द्वारा रिजर्व कर दी गई थी तथा इसके पश्चात् दिनांक 11.05.2016 को उक्त अपील का निर्णय किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटिशन सं. 2768/2014 में निर्णय करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर वसीयतनामा, हकतर्कनामें की जांच करते हुए तहसीलदार को उक्त प्रकरण का निर्णय करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे , लेकिन तहसीलदार द्वारा वसीयत और हकतर्कनामें की जांच रिकार्ड पर समस्त दस्तावेजात् एवं खुमानसिंह द्वारा अपना जवाब रिकार्ड पर होने के बावजूद भी जांच नहीं की गई जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपीलेट न्यायालय में अपीलार्थी की अपील भी उक्त आधारों पर प्रस्तुत थी । उन आधारों का एक शब्द भी अपीलेट न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया जो विधि विरूद्व है । अतः अपीलार्थी का निर्णय दिनांक 11.05.2016 रिकोल किया जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधारों के संदर्भ में पुनः निस्तारित किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है । अतः प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 11.05.2016 को निरस्त किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि पुश्तैनी होने से वसीयत एवं हकतर्कनामें की जांच की जाकर प्रार्थी के पक्ष में रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में रिव्यू प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 से लगायत 15 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निर्णय के एक साल पूर्व बहस की जाकर उक्त अपील को निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा रिजर्व कर दी गई थी तथा इसके पश्चात् दिनांक 11.05.2016 को उक्त अपील का निर्णय किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटिशन सं. 2768/2014 में निर्णय करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर वसीयतनामा, हकतर्कनामें की जांच करते हुए तहसीलदार को उक्त प्रकरण का निर्णय करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे , लेकिन तहसीलदार द्वारा वसीयत और हकतर्कनामें की जांच रिकार्ड पर समस्त दस्तावेजात् एवं खुमानसिंह द्वारा अपना जवाब रिकार्ड पर होने के बावजूद भी जांच नहीं की गई जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपीलेट न्यायालय में अपीलार्थी की अपील भी उक्त आधारों पर प्रस्तुत थी । उन आधारों का एक शब्द भी अपीलेट न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया जो विधि विरूद्व है । अतः

अपीलार्थी का निर्णय दिनांक 11.05.2016 रिकोल किया जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधारों के संदर्भ में पुनः निस्तारित किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है । अतः प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 11.05.2016 को निरस्त किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि पुश्तैनी होने से वसीयत एवं हकतर्कनामें की जांच की जाकर प्रार्थी के पक्ष में रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण में विपक्षी सं. 02 से लगायत 05 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी । विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने उपरोक्त प्रकरण का रिव्यू प्रार्थनापत्र धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है । धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की उपधारा 3 के अनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारों पर उसमें दिये गये प्रावधान के अनुसार ही पोषणीय हो सकता है । धारा 86(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनुसार प्रार्थी अपीलाण्ट के रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आधार अथवा पूर्व के निर्णय में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि नहीं बताई गई है, जिसे आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार रिव्यू किया जा सके । प्रार्थी अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में जिन आधारों व तथ्यों का उल्लेख किया है वे उनकी अपील में वर्णित तथ्य व आधार है , जिन पर बाद सुनवाई गुणावगुण पर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी अपीलाण्ट की अपील को खारिज किया गया । इस प्रकार मामले में पूर्व में पारित निर्णय प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है तो उसके विरूद्व कानूनन अपील या रिट याचिका ही पोषणीय हो सकती है तथा इस तरह के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित निर्णय को रिव्यू कार्यवाही में नहीं बदला जा सकता है । अतः प्रार्थी अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये रिव्यू प्रार्थनापत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे । विपक्षी ने इस हेतु 2012 (2) आर एल डब्ल्यू (राज.) 919 एवं 2013 (1) आर एल डब्ल्यू (राज.) 370 विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । धारा 86 में यह उल्लेख है कि " न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यदि कोई प्रथम दृष्टतया अशुद्वि रह गई हो या

गणना में कोई त्रुटि रह गयी हो तो न्यायालय स्वविवेक से या अन्य किसी पक्षकार के आवेदन पर ही निर्णय में पुनरावलोकन किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।"

जबकि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 86 एल0 आर0 एक्ट के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 9/2015 निर्णय दिनांक 11.05.2016 के संबंध में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है , जो धारा 86 एल0 आर0 एक्ट में वर्णित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नहीं आता है ।

हम विपक्षीगण सं. 02 से लगायत 05 के विद्वान अधिवक्ता की इस बहस से सहमत है कि प्रार्थी का उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारों पर उसमें दिये गये प्रावधान के अनुसार ही पोषणीय हो सकता है । सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47 नियम 1 में उल्लेख इस प्रकार है – " जहां किसी भी न्यायालय निर्णय को परिवर्तित करने का पर्याप्त आधार हो वहां न्यायालय स्वयं स्वविवेक से या किसी पक्षकार के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है ।" जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 में निर्णय को परिवर्तित करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – "यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– '' Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं । अतः उपरोक्त

विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव –

-: आदेश: -

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 11.05.2016 बअनवान खुमानसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरह के संबंध में उभयपक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अद्योपान्त अवलोकन करने एवं प्रकरण में प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ । इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 9/2015 निर्णय दिनांक 11.05.2016 में कोई प्रथम दृष्टतया अशुद्वि नहीं पायी गयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं । प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है, जो धारा 86 एल0आर0एक्ट में वर्णित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नहीं आने से उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है एवं इस न्यायालय के अपील प्रकरण सं. 9/2015 निर्णय दिनांक 11.05.2016 को यथावत रखा जाता है । निर्णय आज दिनांक 15.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/2/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा